



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012021-224730
CG-DL-E-28012021-224730

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]
No. 354]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2021/माघ 7, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2021/MAGHA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

का.आ. 386(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में NH3 के कि.मी. 59.480 से कि.मी. 65.810 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील धार, जिला धार) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (राजस्व), धार को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में NH3 (नया 52) का इंदौर खलघाट खंड के कि.मी. 59.480 से कि.मी. 65.810 बाकानेर घाट का पुनः संरेखण (रि-अलाइनमेंट) (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील धार, जिला धार) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: धार		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: धार					
गांव का नाम: ढाल					
1	01	सरकारी	निस्तार/चरनोई	0.6548000(हेक्टेयर)	0.6548000
2	47/1/1	निजी	सिंचित	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
3	47/1/2	निजी	सिंचित	0.6934000(हेक्टेयर)	0.6934000
4	47/1/3	निजी	सिंचित	0.8404000(हेक्टेयर)	0.8404000
5	58	निजी	सिंचित	0.2940000(हेक्टेयर)	0.2940000
6	60/1	निजी	सिंचित	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
7	61	निजी	सिंचित	0.3767000(हेक्टेयर)	0.3767000
8	63/2/1	निजी	सिंचित	0.5071000(हेक्टेयर)	0.5071000
9	63/2/1	निजी	सिंचित	0.0297000(हेक्टेयर)	0.0297000
10	64	निजी	सिंचित	0.2391000(हेक्टेयर)	0.2391000
11	65	निजी	सिंचित	0.1398000(हेक्टेयर)	0.1398000
12	66	सरकारी	जंगल	0.0636000(हेक्टेयर)	0.0636000
13	67	सरकारी	जंगल	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
14	68	सरकारी	जंगल	0.0642000(हेक्टेयर)	0.0642000
15	69	सरकारी	जंगल	0.0683000(हेक्टेयर)	0.0683000

16	70	सरकारी	जंगल	0.6548000(हेक्टेयर)	0.6548000
गांव का नाम: पलासमल					
1	2	निजी	सिंचित	0.2896000(हेक्टेयर)	0.2896000
2	3	सरकारी	चरनोई / निस्तार	0.5383000(हेक्टेयर)	0.5383000
3	4/1	निजी	सिंचित	0.3488000(हेक्टेयर)	0.3488000
4	4/2	निजी	सिंचित	0.2047000(हेक्टेयर)	0.2047000
5	4/3	निजी	सिंचित	0.0161000(हेक्टेयर)	0.0161000
6	5	निजी	सिंचित	0.0112000(हेक्टेयर)	0.0112000
7	6	निजी	सिंचित	0.3176000(हेक्टेयर)	0.3176000
8	67	सरकारी	जंगल	1.8567000(हेक्टेयर)	1.8567000
9	7/3	निजी	सिंचित	0.3094000(हेक्टेयर)	0.3094000
10	7/4	निजी	सिंचित	0.2022000(हेक्टेयर)	0.2022000
11	74	सरकारी	जंगल	0.0914000(हेक्टेयर)	0.0914000
12	75	सरकारी	जंगल	5.3568000(हेक्टेयर)	5.3568000
13	9/11	निजी	सिंचित	0.0030000(हेक्टेयर)	0.0030000
14	9/12	निजी	सिंचित	0.0914000(हेक्टेयर)	0.0914000
15	9/15	निजी	सिंचित	0.0071000(हेक्टेयर)	0.0071000
16	9/16	निजी	सिंचित	0.0311000(हेक्टेयर)	0.0311000
17	9/17	निजी	सिंचित	0.0361000(हेक्टेयर)	0.0361000
18	9/18	निजी	सिंचित	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
कुल				14.4551	14.4551

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2021

S.O. 386(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH3 in the stretch of land from Km. 59.480 to Km. 65.810 (Sub-Divisional Officer, Dhar, District Dhar) in the district of DHAR in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer, Revenue, Dhar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH3 in the stretch of land from Km. 59.480 to Km. 65.810 (Sub-Divisional Officer, Dhar, District Dhar) in the district of DHAR in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: DHAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Dhar					
Village: Dhaal					
1	01	Government	Nistar/Charnoi	0.6548000(Hectare)	0.6548000
2	47/1/1	Private	Irrigated	0.0300000(Hectare)	0.0300000
3	47/1/2	Private	Irrigated	0.6934000(Hectare)	0.6934000
4	47/1/3	Private	Irrigated	0.8404000(Hectare)	0.8404000
5	58	Private	Irrigated	0.2940000(Hectare)	0.2940000
6	60/1	Private	Irrigated	0.0300000(Hectare)	0.0300000
7	61	Private	Irrigated	0.3767000(Hectare)	0.3767000
8	63/2/1	Private	Irrigated	0.5071000(Hectare)	0.5071000
9	63/2/1	Private	Irrigated	0.0297000(Hectare)	0.0297000
10	64	Private	Irrigated	0.2391000(Hectare)	0.2391000
11	65	Private	Irrigated	0.1398000(Hectare)	0.1398000
12	66	Government	Forest	0.0636000(Hectare)	0.0636000

13	67	Government	Forest	0.0400000(Hectare)	0.0400000
14	68	Government	Forest	0.0642000(Hectare)	0.0642000
15	69	Government	Forest	0.0683000(Hectare)	0.0683000
16	70	Government	Forest	0.6548000(Hectare)	0.6548000
Village: Palasmal					
1	2	Private	Irrigated	0.2896000(Hectare)	0.2896000
2	3	Government	Charnoi/ Nistar	0.5383000(Hectare)	0.5383000
3	4/1	Private	Irrigated	0.3488000(Hectare)	0.3488000
4	4/2	Private	Irrigated	0.2047000(Hectare)	0.2047000
5	4/3	Private	Irrigated	0.0161000(Hectare)	0.0161000
6	5	Private	Irrigated	0.0112000(Hectare)	0.0112000
7	6	Private	Irrigated	0.3176000(Hectare)	0.3176000
8	67	Government	Forest	1.8567000(Hectare)	1.8567000
9	7/3	Private	Irrigated	0.3094000(Hectare)	0.3094000
10	7/4	Private	Irrigated	0.2022000(Hectare)	0.2022000
11	74	Government	Forest	0.0914000(Hectare)	0.0914000
12	75	Government	Forest	5.3568000(Hectare)	5.3568000
13	9/11	Private	Irrigated	0.0030000(Hectare)	0.0030000
14	9/12	Private	Irrigated	0.0914000(Hectare)	0.0914000
15	9/15	Private	Irrigated	0.0071000(Hectare)	0.0071000
16	9/16	Private	Irrigated	0.0311000(Hectare)	0.0311000
17	9/17	Private	Irrigated	0.0361000(Hectare)	0.0361000
18	9/18	Private	Irrigated	0.0177000(Hectare)	0.0177000
Total				14.4551	14.4551

[F. No. NHAI/LA/2019/3(a)-Notif/Addtl./PIU-Indore/3A]

RAJESH GUPTA, Director